7/4/26

परिवादी श्री पेश हुए। उभय पक्ष के अधि उपस्थित है। उभय पक्ष के अधिवक्ताओ की प्र पत्र अन्तर्गत आदेश 9(9) पर बहस सुनी गयी। बहस के दौरान विपक्षी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि प्र.पत्र 9(9) स्वीकार किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है। एवं प्रार्थी वकील द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रकरण आपसी न्यायालय मे विचाराधीन था जिसकी तारीख पेशी दिनांक 12/7/23 को नियत थी नियत पेशी के दिनांक दिन उपस्थित नही हुआ प्रकरण को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज कर दिया न्याय हित मे प्रकरण को पुन दर्ज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया परिवादी का अपील स्वीकार किया गया दिनांक 12/7/2023 को प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया न्याय हित मे प्र पत्र 9(9) स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः प्र पत्र अन्तर्गत आदेश 9(9) का स्वीकार किया जाकर प्रकरण दिनांक 12/7/2023 को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया गया प्रकरण को पुन नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। परिवादी पोस्ट शुल्क लेकर नम्बर के युक्त हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
(एन.आई.एक्ट) जयपुर